रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, फरवरी 12—फरवरी 18, 2012, शनिवार/माघ 23—माघ 29, 1933
No. 7] NEW DELHI, FEBRUARY 12—FEBRUARY 18, 2012, SATURDAY/MAGHA 23—MAGHA 29, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, आशुलिपिक ग्रेड-1 (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1993 को अधिक्रान्त करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे में आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे, आशुलिपिक ग्रेड-1 (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण, उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आशुलिपिक ग्रेड-1	29* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु., ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, (ii) आशुलिपिक और टंकण में अंग्रेजी में क्रमश : 80 शब्द और 30 शब्द प्रति मिनट की दर से गति या आशुलिपिक और टंकण में हिन्दी में क्रमश : 80 शब्द और 25 शब्द प्रति मिनट की दर से गति (पद की भर्ती के आधार पर) (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में आशुलिपिक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव रखता हो । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा 20 प्रतिशत; प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा 80 प्रतिशत; जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-2, जिन्होंने उस ग्रेड में 10 वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियमित आधार पर फीडर पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा पांच वर्ष तक बनी रहेगी । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए तारीख 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व

	(11)
	किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस फायदे का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है । **प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु., 2400 रु. ग्रेड वेतन सहित या समतुल्य में उस ग्रेड में दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस फायदे का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —अध्यक्ष 2. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(12)

3. अवर सचिव, स्थापना-II, अनुभाग, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य

4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —सदस्य

[फा. सं. 2/16/98-स्था. II (खण्ड-II)]

आर. के ओझा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 6th February, 2012

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune Stenographer Grade I (Group 'B' post) Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Stenographer Grade-I, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. —**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade I	29* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

(6)
Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) Graduate from a recognised University. (ii) Speed in shorthand and typewriting at the rate of 80 and 30 words per minute respectively in English. OR Speed in shorthand and typewriting at the rate of 80 and 25 words per minute respectively in Hindi (depending upon requirement of the post). (iii) Ten years experience as Stenographer in a Central Government or State Government. **Note 1 :** The qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing , in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No	Two years for direct recruits and promotees.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Twenty per cent by promotion; Eighty per cent by deputation/absorption, failing which by direct recruitment.	**Promotion :** Stenographer Grade-II with ten years regular service in the grade **Note 1 :** The eligibility service shall continue to be five years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of coming into force of these rules. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Deputation/absorption :** Officers of the Central Government :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with ten years regular service in the grade in Pay Band-1 Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.

	(11)
	Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for (promotion and confirmation) consisting of :— 1. Director, Central Water and Power Research Station, Pune —Chairman 2. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station —Member 3. Under Secretary, Establishment-II, Section Ministry of Water Resources —Member 4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 2/16/98-E. II (Vol. II)]

R. K. OJHA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th February, 2012

G.S.R. 43.—In the Notification of the Government of India, in the Ministry of Human Resource and Development, Department of School Education and Literacy vide G.S.R. 58 dated 5th February, 2011 published in Part II, Section 3, Sub-Section (i), at page number 1, line 10 relating to Short title and commencement, for "2010" read "2011".

[No. F. 1-37/2010-Sch. 4]

GULAB SINGH, Under Secy.

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 58 dated 5th February, 2011 which were superseded.